"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 मार्च 2014— चैत्र 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक 2779/डी. 48/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-03-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (चच) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(चचच) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है, ऐसा मूल्य, जिस पर माल का विक्रय सामान्यतः बाजार में होता है या जहां माल का विक्रय सामान्यतः बाजार में नहीं होता है या उसका सही विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं होता है तो, ऐसा मूल्य, जो कि शासन द्वारा अधिसूचित किया जाये."

धारा 3 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग, जिन पर उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होता है, से ऐसा कर उदग्रहित किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये तथा तदुपरांत इस प्रकार अधिसूचित कर, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा भुगतान किया जायेगा :"

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक 2779/डी. 48/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 6 of 2014)

THE CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

(2) It shall come into force with effect from the 1st April, 2014.

Amendment of Section 2.

2. After clause (ff) of sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), (here-in-after referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(fff) "Market Value" means the value at which the goods are generally sold in the market or where the goods are not generally sold in the market or the correct sale price thereof is not ascertainable, such value as may be notified by the State Government."

Amendment of Section 3.

3. For sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(ii) such tax, as may be notified by the State Government shall be levied from such persons or class of persons, to whom the provisions of sub-section (1) do not apply, and thereupon the tax so notified, shall be paid by such persons or class of persons :"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.